

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिंगोली

दिनांक

फर्द अहकाम

23/11/2020

आज यह पत्रावली वादी एवं प्रतिवादी सं01 जरिये वकलातान उपस्थित होकर राजीनामा पेश करने पर तलब की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाय फरीकेन को राजीनामा पर सुना गया। वादी एवं प्रतिवादी सं01 के अधिवक्तागण ने मुताविक राजीनामा वादी का दावा खारिज कराने का निवेदन किया है।

राजीनामा में अंकित किया है कि पक्षकारान मुकदमा में राजी खुशी राजीनामा हो गया है। मुताविक राजीनामा वादी ने विवादित भूमि के करार की रकम प्रतिवादी से वापिस प्राप्त कर करार निरस्त कर दिया है। वादी का विवादित भूमि स'अब कोई वास्ता नहीं है। भूमि का एक मात्र मालिक प्रतिवादी ही रहेगा। मुताविक राजीनामा वादी का दावा खारिज फरमा दिया जावे।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। ऐसे हालात में मुताविक राजीनामा वादी का दावा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः मुकदमा नं0 1221/2020 उनवानी प्रेमसिंह बैनीवाल बनाम परमानन्द वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.11.2020  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी